

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कतिपय क्षेत्रीय पदाधिकारी बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति लिये बिना ही विभाग/निदेशालय में घूमते पाये जाते हैं जो उचित नहीं है।

अतः आदेश दिया जाता है कि उद्योग विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी विभाग/निदेशालय स्तर पर बैठक/सुनवाई एवं प्राधिकृत स्थिति को छोड़कर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग से बिना पूर्वानुमति के अपने मुख्यालय को नहीं छोड़ेंगे। विशेष परिस्थिति में संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुमति लेकर ही मुख्यालय छोड़ेंगे।

ह0/-
(अनिल कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

3स0/उ0स्था0(विविध)22/2018

प्रतिलिपि:-उद्योग निदेशक/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/उद्योग विभाग के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:- 5892

पटना, दिनांक:- 20.12.18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अवर सचिव
अ.क.ज. 20/12/18
सरकार के अवर सचिव

राकेश/20-12-18